न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 33/2022 तारीख रजू :– 01.06.2022

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार हरसोलिया

R.A.S.

बालू पुत्र हुक्मी जाति माली निवासी पटपरी पुरा, कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————— प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थगढी

उपस्थित :–1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिंनाक :–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 197 रकबा 0.49 है0, 853/199 रकबा 0.62 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम पटपरीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली स्थित है। प्रार्थी उक्त आराजी के तन्हा खातेदार टीनेन्ट है एवं उक्त आराजी पर काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। वादी को आराजी हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0, माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2021 द्वारा प्रदान किया गया है।

उपखण्ड अधि...
हिण्डौन सिटी (...)

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थी गरीब कमजोर तबके का व्यक्ति है, प्रार्थी की कोई राजनैतिक अप्रोच नहीं है, जबकि गांव वाले झगडालू, गिरोहबन्द व खूंखार किस्म के व्यक्ति हैं, गांव वाले राजनैतिक अप्रोच व पैसे वाले व्यक्ति हैं जो लट्ठ व ताकत के बल पर प्रार्थी की जमीन पर अतिकमण कर मिन प्रार्थी की आराजीयात वर्णित मद नं01 प्रार्थना पत्र पर अतिकमण करना चाहते हैं। इन लोगों ने प्रार्थी की जमीन पर अतिकमण कर निशानात को नष्ट कर दिया है तथा डोलमेंढ में गढे हुए पत्थर को उखाड कर फैंक दिया है, जिसके कारण अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न कर दिया है, गांव वालों ने अव प्रार्थी की आराजीयात को अतिकम्रण करना शुरू कर दिया है, प्रार्थी की बोई हुई फसल को उलेटना, काटने में बाधा उत्पन्न करना, झगडा करना शुरू कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी का जीना हराम हो गया है, इन लोगों ने प्रार्थी की डोल मेंढ को अस्त –व्यस्त कर दिया है तथा जबरन लट्ठ के बल पर प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में होकर नई सीमारेखा तय करना चाहते हैं, जिसके कारण प्रार्थी का रकबे पर अवैध कब्जा कर दबाना चाहते हैं। इन लोगों ने लट्ठ व ताकत के बल पर प्रार्थी के पडौसी काश्तकारों को भी तंग व परेशान कर रखा है, न्यायहित में प्रार्थी की आराजी की नापतोल की जाकर प्रार्थी की आराजीयात वर्णित मद नं01 प्रार्थना पत्र का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। जिससे भविष्य में प्रार्थी व गांव वालों के मध्य का कोई विवाद शेष नहीं रहे तथा प्रार्थी व गांव वाले अपनी अपनी आराजीयात को शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त कर सकें।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि बाक्या दिनांक 29.05.2022 को प्रार्थी व उसका परिवार अपनी उक्त आराजीयात वर्णित मद नं01 प्रार्थना पत्र में बाजरा की फसल की बुबाई के लिए खेतों की साफ सफाई कर रहे थे कि इतने में गांव वाले हाथों में लाठी, डण्डा, गढासी लेकर प्रार्थी की उक्त आराजी पर आ गये एवं प्रार्थी को गाली गलौंच करते हुए कहने लगे कि तुमने हमारी जमीन के सटेवा जमीन काश्त की तो हम तुम्हें इतना मारेंगे, कि तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पायेगा। प्रार्थी ने हाथ जोडकर गांव वालों से कहा कि आप अपने खेतों का सीमाज्ञान करवा लिजिए जहॉं होकर तुम्हारी डोलमेंढ आयेगी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

वहाँ होकर दोनों तरफ के काश्तकार अपनी अपनी जमीन काश्त करेंगे, इस पर भी गांव वाले राजी नहीं हुए एवं प्रार्थी को गाली गलौंच करते हुए काश्त में बाधा उत्पन्न करने लगे। प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डौन से उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि आप एसडीओ साहब से ऑर्डर करवाकर लाओ तब हम पत्थरगढी करवा सकते हैं, अन्यथाहम पत्थरगढी नहीं करवायेंगे। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 197 रकबा 0.49 है0, 853/199 रकबा 0.62 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम पटपरीपुरा तहसील हिण्डौन में तहसीलदार हिण्डौन से सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार हिण्डौन उपस्थित आये किन्तु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 22.09.2022 को जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा सीट हाल नम्बरान, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति नकल डिकी मुकदमा नं0 189/2016 उनवानी बालू बनाम सरकार दिनांक 12.10.2021 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से बार बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 197 रकबा 0.49 है0, 853/199 रकबा 0.62 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम पटपरीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को फरमावें।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073—76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 197 रकबा 0.49 है0, 853/199 रकबा 0.62 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रार्थी बालू पुत्र हुक्मा हिस्सा पूण जाति माली सा0 पटपरीपुरा खातेदा राहिन (खसरा नं0 197 बिना रहन) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल डिकी मुकदमा नं0 189/2016 उनवानी बालू बनाम सरकार दिनांक 12.10.2021 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 197 रकबा 0.49 है0, 853/199 रकबा 0.62 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन का प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थी उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 197 रकबा 0.49 है0, 853/199 रकबा 0.62 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने का अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 197 रकबा 0.49 है0, 853/199 रकबा 0.62 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सदर हिण्डौन से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए प्रार्थी को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 21-12-23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली